कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी

प्रेस-नोट

दिनांक:-09-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्तगण मुख्तार, सलीम, सन्ने को पशु क्रूरता व जान से मारने की नियत से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि तथा कुल 18900/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

थाना-लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0- 0100/2011, धारा-279,307,336 भादवि व 11 पशु क्रुरता अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1. मुख्तार पुत्र समी अख्तर खाँ निवासी गढवा कल्यानपुर थाना गढ़वा जिला गढ़वा झारखण्ड 2. समीम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी गढवा कल्यानपुर थाना गढ़वा जिला गढ़वा झारखण्ड 3.सन्ने पुत्र मुन्ने मिया निवासी भखारी पुरानी बजार थाना कोखराज कौशाम्बी उ.प्र.** को थाना-लंका पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 09-04-2025 को मा0 न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए धारा-307 भादवि में बितायी गयी अवधि के कारावास से तथा 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस के अतिरिक्त कारावास से, धारा-279 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास से तथा 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से, तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिन अतिरिक्त कारावास से, धारा-336 भादवि में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास से तथा 250-250 रूपये के अर्थण्ड से व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 दिन के अतिरिक्त कारावास से एवं धारा-11 पशु क्रुरता अधिनियम में दोष सिद्ध प्रत्येक को मु0 50-50/- रूपये के अर्थदण्ड से व अदा न करने पर 01-01 दिन के अतिरिक्त कारवास से दण्डित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी